

डिक्री बमुकदमें ईक्टदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 23/2025

शिवम जाखड़ पुत्र धर्मवीर जाखड़ जाति जाट निवासी भागू तहसील अबोहर जिला
फाजिल्का (पंजाब)

-वादी

बनाम

1. परमेश्वरी देवी पत्नी रामनारायण
 2. सुरभि जाखड़ पुत्री धर्मवीर जाखड़
 3. नीरू जाखड़ पुत्री धर्मवीर जाखड़
- तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति समस्त जाट निवासीगण भागू
तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 11.7.2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इन्फिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक वादी व श्री हरबन्धसिंह झोरड़ अभिभाषक प्रतिवादी मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि वादी के पिता स्व. धर्मवीर के नाम तहसील संगरिया के चक 3 एच.आर.पी. के खाता सं. 12/12 जं.सं. 2072-75 में 1/3 हिस्सा अर्थात 3.204 है. तथा चक नं. 3 एच.आर.पी. खाता संख्या 144/107 में 1/8 हिस्सा अर्थात 0.253 है. कृषि भूमि व चक नं. 4 एच.आर.पी. खाता सं. 11/79 जं.सं. 2071-74 में 0.421 है. कृषि भूमि का वादी शिवम जाखड़ को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के पिता धर्मवीर पुत्र रामनारायण का नाम उक्त खातो से कलमजन् किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~निल~~...~~मुब्लिक~~...~~निल~~...~~बाबत~~...~~निल~~...~~खर्चा~~ मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~...~~को अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया